CMYK

Website : www.highwaychannel.in

छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रसारित शाम का अखबार

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 28 □ अंक- 51 □ रायपुर, सोमवार 17 मार्च 2025 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • बिलासपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

टहलने निकले युवकों को अनियंत्रित कार ने कुचला, 3 की मौत, 4 घायल

बीती रात्रि बिरेझर चौकी अन्तर्गत ग्राम दरबा के पास हुआ दर्दनाक हादसा

धमतरी, 17 मार्च (हाईवे चैनल)। बीती रात्रि एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना घटी जिसमें 3 लोगो की मौत हो गई जबकि 4 गंभीर रुप से घायल हो गए। जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मिली जानकारी के अनुसार बिरेझर चौकी अन्तर्गत ग्राम दरबा के पास रात्रि में खाना खाने के बाद 7 युवक टहलने निकले थे इसी दौरान अनियंत्रित कार ने 7 को कुचल दिया जिससे दरबा के 3 युवकों की मौत हो गई। जबकि 4 गंभीर रुप से घायल हो गए जिन्हें उपचार हेतु अभनपुर अस्पताल ले जाया गया है। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जप्त कर जांच में जुट गई है।

वक्फ संशोधन बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर में प्रदर्शन

नई दिल्ली, 17 मार्च (न्यूज चैनल)। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर वक्फ संशोधन बिल 2024 के विरोध में महाधरना प्रदर्शन करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग और अन्य लोग शामिल हुए हैं।

एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल कानून के नाम पर अराजकता फैलाने वाला और वक्फ की सुरक्षा और पारदर्शिता के नाम पर वक्फ संपत्ति को तबाह करने और इन पर कब्जा करने की साजिश है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं के वह अपनी करवाई से रुक जाए और बिल वापस ले। मिली जानकारी के मुताबिक, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड समेत अन्य मुस्लिम संगठनों ने जंतर-मंतर पर वक्फ बिल के खिलाफ सड़कों पर उतर गए हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल भारत के धर्म निरपेक्ष लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। भारतीय संविधान का स्वरूप 12 से 35 में मौजूद बुनियादी अधिकारों का उल्लंघन करता है। साथ ही यह बिल 25 करोड़ से ज्यादा अल्पसंखियांक नागरिकों की भावनाओं को कष्ट देने के बराबर है। अर्थात हम इसे पूरी तरह अस्वीकार करते हैं और सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग करते हैं।

बिल वापस लेने की मांग

वक्फ बिल के विरोध पर भाजपा के राष्टीय **महासचिव ने दी प्रतिक्रिया-** वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 के खिलाफ एआईएमपीएलबी के विरोध पर भाजपा के राष्टीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि कुछ लोग भू-माफियाओं के इशारों पर कठपुतली की तरह नाच रहे हैं। मैं इन संगठनों से कहना चाहूंगा कि विरोध के नाम पर अपनी दुकानों और भू-माफियाओं के प्रति प्रेम दिखाने के बजाय गरीबों और मुसलमानों के हित में सोचने की कोशिश करें। इन भू-माफियाओं को अपना चश्मा उतार देना चाहिए।

देश में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित :मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्टीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जिम्मेदार कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों को खतरा है, सुरक्षित नहीं हैं। ये सरासर गलत और गुमराह करने वाली बातें हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमान पूरी तरह सुरक्षित है। देश में मुसलमान अपने धार्मिक त्योहार, नमाज, रोजा, हज, जकात, जुलूस और उर्स आदि कार्यक्रम आजादी से मनाता है। कोई भी व्यक्ति या हुकूमत इन धार्मिक कार्यक्रमों में कोई भी बाधा नहीं डालती।

ब्रेकिंग न्यूज

एआईसीसी की कांग्रेस कार्य समिति बैठक कल

नई दिल्ली, 17 मार्च (न्यूज चैनल)। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी महासचिवों और राज्य प्रभारियों की एक बैठक दिल्ली में बुलाई है। यह बैठक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय इंदिरा भवन में 18 मार्च 2025, मंगलवार को शाम 5 बजे होगी। सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल होंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस महासचिव भूपेश बघेल भी शामिल हैं। इस बैठक का उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती, आगामी चुनावों की रणनीति और भाजपा की जनविरोधी नीतियों व संविधान पर लगातार हमले के खिलाफ पार्टी की भविष्य की दिशा तय करना है।

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को दिल्ली में एंट्री से रोका गया

नई दिल्ली, 17 मार्च (न्यूज चैनल)। जगद्गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का आज दिल्ली में गाय के मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों से मिलने का कार्यक्रम है। इससे पहले उन्हें नरेला पुलिस ने रोक दिया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कुंभ मेले में सभी राजनीतिक दलों से गौ हत्या के मुद्दे पर सवाल पूछा गया था। उन्हें इस पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए समय दिया गया था। आज 17 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में शाम 5ः00 बजे तक वे सभी राजनीतिक दलों के जवाब का इंतजार करने वाले हैं, उसके पहले उन्हें नरेला पुलिस ने रोक दिया है।

गौ हत्या को लेकर पूछा था सवाल- दिल्ली में एंट्री से पहले उन्होंने कहा था राजनीतिक दलों को साफ करना होगा कि वे गौ हत्या के पक्ष में हैं या विरोध में, या फिर चुप रहकर यह संकेत देंगे कि पिछले 78 सालों से जो हो रहा है, वही चलता रहेगा। अगर इस दिन तक राजनीतिक दलों से स्पष्ट जवाब नहीं मिलता है तो वे हर पार्टी के दरवाजे पर जाकर उनकी मंशा पूछेंगे।

हिंदू को पहले खुद को हिंदू समझना होगा- शंकराचार्य ने कहा था कि हिंदू को पहले खुद को हिंदू समझना होगा, गौ हत्या का विरोध करना होगा। हिंदू गौरक्षक होता है और वह गाय की हत्या होते नहीं देख सकता। अगर देश में गौ हत्या हो रही है, तो इसका मतलब है कि हिंदू कमजोर है। उन्होंने कहा था कि हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है, लेकिन अगर हिंदू राष्ट्र बनने के बाद भी गौ हत्या जारी रही तो इसका कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए उन्होंने हिंदुओं से अपील की कि पहले उन्हें जागरूक होना होगा और गौ हत्या को पूरी तरह से बंद करने के प्रयास करने होंगे।

जल जीवन मिशन का मुद्दा फिर गूंजा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा- कब तक पिछली सरकार का नाम लेकर बचते रहेंगे

रायपुर, 17 मार्च (हाईवे चैनल)। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत ने जल जीवन मिशन के तहत 2025 तक केंद्रांश के रूप में प्राप्त राशि की जानकारी मांगी. भाजपा विधायक के केंद्रांश से कम राशि प्राप्त होने का ठीकरा पूर्ववर्ती सरकार पर फोड़े जाने पर नेता प्रतिपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि कब तक पिछली सरकार का नाम लेकर बचते रहेंगे. नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 2024-25 फरवरी 2024 तक 191.59 करोड़ केंद्रांश प्राप्त हुआ है. राज्यांश राशि के रूप में 187.12 करोड़ की स्वीकृति दी गई है. इस पर डॉ. महंत ने कहा केंद्रांश और राज्यांश बराबर होना चाहिए. 2250 करोड़ रुपए की राशि आना था, डबल इंजन सरकार ने नहीं दिया.इस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि भारत सरकार ने 2028 तक जल जीवन मिशन की अवधि बढ़ाई है. जल जीवन मिशन का काम 50-60त्न पूरा हुआ है, इसी अनुसार राशि आई है. 29126 स्वीकृत योजनाओं की संख्या है, 41 हजार से अधिक टैंक बनाए गए हैं. 5908 टंकियों का निर्माण हो गया पर पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं हुई है.

इस पर चरण दास महंत ने पूछा कि क्या काम होने के बाद भी भुगतान नहीं हुआ है. उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि भुगतान सतत् प्रक्रिया है. राशि की उपलब्धता के आधार पर भुगतान की जाएगी. इस पर महंत ने कहा कि पैसे नहीं मिलने के कारण ठेकेदार काम नहीं कर रहे हैं. ठेकेदारों के काम नहीं करने के कारण काम धीमा हो गया है, इसलिए केंद्र सरकार राशि नहीं दे रही है.

पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि पुराने सरकार के कर्म की वजह से ये स्थिति आज है. जब आपकी सरकार थी तब निर्देश दे सकते थे. इस पर नेता प्रतिपक्ष डॉ. महंत ने कहा कि कब तक यह कहकर बचेंगे कि पुराने सरकार का है. आप जांच करवा सकते हैं, जांच करवा लीजिए. इस पर धर्मजीत सिंह ने कहा कि जांच की मांग करते हैं, और फिर वहीं ईडी, सीडी को लेकर जुलूस निकालते हैं.

विधायक राघवेंद्र सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष ने प्रश्नकाल में उप मुख्यमंत्री साव को घेरा, आसंदी को देना पड़ा दखल

विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह के साथ नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरण दास महंत ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव को घेरा. अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि डेढ़ हजार पन्नों का उत्तर प्रश्न काल में पूरा नहीं दिया जा सकता, इसलिए कम से कम शब्दों में जवाब देने की कोशिश करें. विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह ने लोक निर्माण विभाग संभाग बिलासपुर द्वारा वार्षिक मरम्मत विद्युतीकरण पर व्यय राशि का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि भवन और स्थानों की जानकारी मांगी थी, लेकिन सिर्फ सेक्शन की जानकारी दी गई है. कितने एग्रीमेंटेड ओर कितने गैर एग्रीमेंटेड उद्योग कराए गए है?

इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि 2016-से 2024 की अवधि में 9156 स्थानों के कार्य कराए गए है. दो-तीन कार्यों का बिल ठेकेदार एक ही बार में ले लेता है, इसलिए इसकी इंट्री माप पुस्तिका में होती है. उन्होंने बताया कि कुल इस अवधि में 596 अनुबंधित और 16705 गैर अनुबंधित कार्यों के लिए 32 करोड़ 3 लाख का भुगतान किया गया है. विधायक राघवेंद्र सिंह ने सवाल किया कि क्या जब भुगतान करते है तो क्या स्थान का नाम उल्लेखित करना अनिवार्य है कि नहीं. इस पर उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि देयक के स्थान का उल्लेख नहीं होता माप पुस्तिका में होता है. इस पर विधायक ने सवाल किया कि आप के ही डिपार्टमेंट से एक नोटिस इशू किया जाता है कि अगर भवनों ओर स्थानों का नाम नहीं दिया जाता तो सभी देयकों को फर्जी माना जाएगा. किन-किन भवनों में क्या-क्या काम संचालित हुआ है, इसकी जानकारी दी जाए. लगभग 100 करोड़ का मामला है. एक भी जानकारी प्रदान नहीं की जा रही है.

रायपुर नगर निगम में एमआईसी सदस्यों के नामों की घोषणा

रायपुर, 17 मार्च (हाईवे चैनल)। रायपुर नगर पालिक निगम की महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने नगर पालिक निगम रायपुर की मेयर इन काउंसिल एमआईसी के सदस्यों की घोषणा कर दी है। महापौर श्रीमती मीनल चौबे के आदेशानुसार नगर निगम सचिवालय द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम, अधिनियम 1956 (क्रमांक 23 सन् 1956) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाकर मेयर इन काऊंसिल का गठन निर्वाचित पार्षदों में से किया जाकर उन्हें उनके नाम के समक्ष अंकित विभाग का प्रभारी सदस्य नियुक्त किया गया है, जिसमें दीपक जायसवाल को लोक कर्म विभाग, डॉ. अनामिका सिंह को सामान्य प्रशासन एवं विधि विधायी कार्य विभाग, मनोज वर्मा को नगरीय नियोजन एवं भवन अनुज्ञा विभाग, श्री अवतार भारती बागल को राजस्व विभाग, संतोष कुमार साहू को जल कार्य विभाग , श्रीमती गायत्री सुनील चन्द्राकर को लोक, स्वास्थ्य, खाद्य एवं स्वच्छता विभाग, श्रीमती सुमन अशोक पांडेय को विद्युत एवं अभियांत्रिकीय विभाग, महेन्द्र खोडियार को वित्त, लेखा एवं अंकेक्षण विभाग, खेम कुमार सेन को शहरी गरीबी उपशमन एवं समाज कल्याण विभाग, श्रीमती सरिता आकाश दुबे को महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रीमती संजना हियाल को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अमर गिदवानी को संस्कृति, पर्यटन, मनोरंजन एवं विरासत संरक्षण विभाग, नन्द किशोर साहू को खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग और भोला राम साहू को पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग का प्रभारी सदस्य नियुक्त किया गया है। मेयर इन काऊंसिल के उपरोक्त सदस्य माननीय महापौर के प्रसाद पर्यन्त एवं अग्रिम आदेश तक पद धारण करेंगे। मेयर इन काऊंसिल के सभी सदस्य छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम (मेयर इन काऊंसिल, प्रेसीडेंट इन काऊंसिल के कामकाज का संचालन तथा प्राधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य) नियम द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत अपने कर्तव्यों का निष्पादन करेंगे।

मनोज वर्मा, अमर गिदवानी सहित 14 पार्षदों के नामों पर महापौर की मुहर

सर्विस रिवॉल्वर से सिपाही ने एएसआई पर चलाई गई गोली, मौके पर मौत

रायपुर, 17 मार्च (हाईवे चैनल)। रायपुर के करीब मुड़ीपार स्थित आईटीबीपी कैंप में सोमवार को बिहार निवासी कांस्टेबल सरोज कुमार ने हरियाणा निवासी एएसआई देवेंद्र सिंह दहिया को करीब 18 राउंड गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। सरोज को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। जांच कर रही पुलिस की ओर से अभी तक अधिकृत तौर पर झगड़े का कारण नहीं बताया गया है। घटना रविवार देर रात की बताई जा रही है। आशंका है कि सिपाही और एएसआई के बीच छुट्टी को लेकर विवाद हुआ था। गुस्साए सिपाही सरोज कामर ने सर्विस रिवाल्वर से एएसआई पर गोली चला दी। अस्पताल ले जाए गए एएसआई देवेंद्र सिंह दहिया को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। चर्चा यह भी है कि एएसआई देवेंद्र कुमार दहिया ने वर्दी के टर्नआउट में कमी होने पर अपशब्द बोलते देते हुए सिपाही को फटकार लगाई थी। इसके बाद गुस्से में आकर आरोपित ने गोलीबारी शुरू कर दी। मौके पर मौजूद जवानों ने जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाई।वहीं, अन्य जवानों ने आरोपित को कड़ी मशक्कत से दबोचकर रस्सी से बांधा। पुलिस की टीम जब मौके पर पहुंची, तो आरोपित को पुलिस के हवाले किया गया। रायपुर ग्रामीण के एएसपी ने इस घटना की पुष्टि की है।घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है, और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

छत्तीसगढ़ में और खुलेंगी 67 नई शराब दुकानें

सरकार को मिलेगा 1000 करोड़ का राजस्व

रायपुर, 17 मार्च (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में एक अप्रैल 2025 से 67 नई शराब दुकानें खोली जा रही हैं. नई आबकारी नीति में नई दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है. साथ ही प्रीमियम शॉप के संचालन की भी अनुमति दी गई है. नई 67 दुकानें खुलने से दुकानों की संख्या बढ़कर 741 हो जाएगी. यह दुकानें सीमावर्ती इलाके और 30 किमी के दायरे के बीच दुकान नहीं होने की स्थिति में खोलने का निर्णय लिया गया है. वर्तमान में राज्य में 674 देशी-विदेशी शराब की दुकानें हैं. इसके अलावा बड़े मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में प्रीमियम शॉप अलग से संचालित हो रही है. राज्य सरकार ने नए वित्तीय वर्ष में एक भी शराब दुकान बंद नहीं करने का फैसला लिया है. शराब दुकानों की संख्या बढ़ने से राज्य के राजस्व में भी करीब हजार करोड़ की वृद्धि अनुमानित है. आगामी वर्ष आबकारी से साढ़े 12 हजार करोड़ राजस्व प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है.

छत्तीसगढ़ सरकार की नई आबकारी नीति वर्ष 2025-26 में भी देशी विदेशी शराब दुकानों का संचालन छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा करने का निर्णय लिया है. नई नीति में अधोसंरचना विकास शुल्क के नाम पर प्रति बोतल 5 रुपए से लेकर 10, 20, 40 और 60 रुपए वसूला जाएगा. नई आबकारी नीति में दुकानों का स्थानांतरण किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए कलेक्टरों को एक अप्रैल 2025 से पहले आयुक्त आबकारी को प्रस्ताव भेजना अनिवार्य होगा. नई आबकारी नीति में 10 प्रतिशत यानी 67 नई दुकान खोलने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए भी कलेक्टरों को प्रस्ताव भेजना होगा. इसके पीछे विभाग का तर्क है कि राज्य के कई जिलों में शराब दुकानों के बीच 30 किमी का गैप है. इसके चलते अवैध शराब का कारोबार पनपता है. वहीं सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब दुकान नहीं होने के कारण भी अन्य राज्यों की शराब छत्तीसगढ़ आती है, जिसे ध्यान में रखते हुए विभाग ने 10 प्रतिशत दुकान बढ़ाने का निर्णय लिया है.

मालूम हो कि नई आबकारी नीति में कंपोजिट दुकानों की स्थिति यथावत रखी गयी है. देशी और विदेशी शराब दुकानों की बिक्री एक ही स्थान पर होगी. इसी तरह अहाता की व्यवस्था भी यथावत रखी गई है. इसके लिए विभाग अलग से निर्देश जारी करेगा. नई आबकारी नीति में भी कांच की बोतल में शराब की बिक्री होगी, जिस पर होलोग्राम के अलावा ईएएल चस्पा करना अनिवार्य किया गया है. अधिकतम 6 बोतल, 12 अद्धी और 24 पौव्वा शराब एक व्यक्ति को बेची जा सकेगी.

साल में चार दिन शराब दुकानें रहेंगी बंद

राज्य शासन की नई आबकारी नीति में चार दिन शराब दुकानें बंद रखने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर गांधी जयंती और बाबा गुरु घासीदास जयंती 18 दिसंबर को शराब दुकानें बंद रहेंगी. इसके अलावा मद्य निषेध नीति के तहत दुकानें भी बंद रहेगी. दुकानों के खुलने के समय में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. दुकानें सुबह 10 से रात्रि 10 बजे तक खुलेंगी और बंद होगी. इसके अलावा मद्य निषेध नीति के तहत दुकानें बंद रखी जाएंगी. होटल, बार और रेस्टोरेंट के खुलने और बंद होने के समय का नीति में उल्लेख नहीं है. इसके लिए भी अलग से निर्देश जारी होंगे.

CMYK